न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 08 / 2022
दायर दिनांक : 14 / 01 / 2022
निर्णय दिनांक : 07 / 10 / 2025

उनवान

1. कजोड पिता भैरा डांगी निवासी डांगियों का तालाब मजरा ताणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. नारायणी पत्नी कजोड़ पुत्री भगवानलाल डांगी हाल पत्नी भगवानलाल डांगी हा.मु. भीमलोद तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. तहसीलदार, भूपालसागर
3. उप पंजीयक, भूपालसागर
4. पटवारी, पटवार हल्का, कानडखेड़ा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल , अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिकी होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। मौका बल्ला की भागल पटवार हल्का कानडखेड़ा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 16 के हाल आराजी नंबर 61 रकबा 0.02 है. कुल किता 1 रकबा 0.02 है. और खाता संख्या 17 के हाल आराजी नंबर 46 रकबा 0.40 है., आ.सं. 47 रकबा 0.40 है., आ.सं. 54 रकबा 0.80 है., आ.सं. 55 रकबा 1.05 है., आ.सं. 56 रकबा 0.80 है. , आ.सं. 60 रकबा 1.15 है., आ.सं. 66 रकबा 0.23 है. कुल किता 7 कुल रकबा 4.83 है. स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1 / 8 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड था, वजूह सबूत हाल जमाबंदी की नकल साथ संलग्न है। प्रार्थी वर्तमान में भी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है वर्तमान में गेहूं की फसल काश्त कर रखी है तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त की ही है और लगान भी प्रार्थी ही जमा करता आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा अप्रार्थी सं. 1 ने अन्यत्र दूसरे व्यक्ति के साथ नाता विवाह कर लिया है तथा विगत दो वर्षों में ग्रमा भीमलोद तहसील भदेसर अपने पति भगवानलाल के साथ निवास कर रही है। अप्रार्थी सं. 1 ने भदेसर थाना में झूठा प्रकरण दर्ज कराया जिसके बाद प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 के बीच विवाद विच्छेद हो गया तथा अप्रार्थी संख्या एक ने एक ईकरारनामा लिख कर दिया जिसमें उक्त आराजियात को पुनः वादी के नाम कराने का इकरार किया जबकि अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त आराजियात को प्रार्थी के साथ धोखा व छल कपट से प्राप्त की है। जिसे विक्रय करने का अधिकार नहीं है इस तरह अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुऐ अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय करना चाह रही है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बह, बख्शीश, विक्रय, वसीयत नहीं करे तथा अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करे ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति परिवारजन एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारी से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की। उपस्थित अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, भूपालसागर उपस्थित। पैरोकार सरकार ने वर्णित तथ्यों से राजपक्ष प्रभावित नहीं होना अवगत कराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:41 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन सावित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:41 IST
Reason: SelfAttested